संख्या-144/2020/2461/22-2-2019-17(1098)/19

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 06 मई, 2020***

विषय:-जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जल्लू पुत्र श्री करीमुल्ला, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-06-08-2019 दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी जल्लू पुत्र श्री करीमुल्ला, जो झांझर, थाना-ककोड़, जनपद- गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है। बंदी द्वारा वाद-विवाद को लेकर दिनांक 19.10.2001 को अपनी 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-72/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 506, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-5, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 08.08.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2012 द्वारा यथावत रखा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी जल्लू (बन्दी संख्या-29/14) पुत्र श्री करीमुल्ला, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-144/2020/2461(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in